



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13077

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44892/2025

चंदन धारी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: शीतला सहाय श्रीवास्तव, सुधीर कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को इस आदेश से व्यथा महसूस होती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2- उप जिलाधिकारी, तहसील-सदर, जिला जौनपुर को यह निर्देश देने के लिए है कि वे कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी20202514360412114 को शीघ्रता से तय करें।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपरोक्त वाद को कानून के अनुसार सख्ती से और अनावश्यक स्थगन दिए बिना तय करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"